

16-1-19

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त फुलआरा द्वारा मु0 अ0 सं0-118/99 धारा 147,148,149,323,504,506 भा0दं0सं0 थाना- सम्पूर्णनगर जिला-खीरी में वारन्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर सुना व अवलोकन किया। प्रार्थिनी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वह बीमार होने के कारण नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आ सकी जिस कारण उसके विरुद्ध गैरजमानतीय वारण्ट जारी हो गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र में लिया गया आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।अतः प्रार्थिनी द्वारा 25,000/- रु0 का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध जारी वारन्ट निरस्त किया जाये।

ए0सी0जे0एम0कोर्ट सं02,
खीरी।